

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

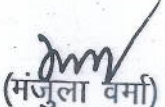
क्रमांक:- एफ.2 (क) (R-147) अलेसे-1/537

दिनांक:- 6-8-18

अनापत्ति प्रमाण पत्र

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत एवं इस विभाग के सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक एफ.2(क) (सेवानिवृत्ति) अलेसे-1/1107 दिनांक 15.01.2018 के क्रम संख्या 27 पर अंकित श्री रमाकान्त शर्मा (लिंक नम्बर 4903), सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, (अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2018 है) के पक्ष में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

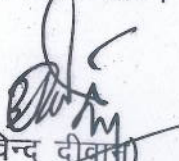

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (R-147) अलेसे-1/537

दिनांक:- 6-8-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
- 3 श्री रमाकान्त शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
- 5 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 6 डीपीसी शाखा/जांच शाखा/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/वरिष्ठता सीट।
- 7 निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(अरविन्द दीक्षा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)